amount earmarked for M.C.D. Park No. 140 mentioned above ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) As reported by the Municipal Corporation of Delhi, there is no encroachment in the park concerned.

(b) Horticultural development of the park is already in progress.

(c) The following amounts were spent on the development of parks in West Delhi (West Zone/MCD) by the Horticulture Department during the last three years :—

1.	198 -90 . . .	19,30,210
2.	1990-91 . . .	24,96,244
3.	1991-92 . . .	26,99,486

This expenditure includes civil engineering works as well as horticultural works. In the park No. 140, New Mahabir Nagar boundary wall and grill already exist and horticultural work is being done departmentally.

Post of Sports Officer/Welfare Officer in the Ministry of Urban Development

1577. SHRI BEKAL UTSAHI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have received any representations from the awardees of the National gallantry Award, 1957 for appointment of Sports Officer/Welfare Officer in the Ministry of Urban Development during the last three years ;

(b) if so, the details of the representationists ; and

(c) whether Government propose to appoint these awardees as sports officer/Welfare Officer in recognition of their Gallantry; and if not, what are the reasons **thereof ?**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) One such representation has been received from an Upper Division Clerk working in the Department of Publication under this Ministry. According to him, he is a Gallantry Award winner of 1957 of the Indian Council for Child Welfare and has been requesting for his appointment as a Sports Officer/Welfare Officer.

(c) There is no proposal to appoint the representationist as a Sports Officer/Welfare Officer as there are no instructions regarding appointment/promotion of these categories of persons. He is also not covered by the instructions regarding appointment of meritorious Sportsmen as he is already working in the Central Government. Moreover, there is no such post of Sports/Welfare Officer in this Ministry.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोर-परीक्षण

1578. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कोर्ट नियंत्रण शाखा ने वर्ष 1982 से 1984 के दौरान कतिपय इमारतों के निर्माण कार्य की कोर जांच की थी; यदि हां, तो ऐसे निर्माण कार्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कतिपय/अधिकतर मामलों में अब मकान आवंटित किए जा चुके हैं, यदि हां, तो इन निर्माण कार्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार कोर जांच को एक निर्णायक जांच कहा जा सकता है ; और

(घ) क्या ईस्ट आफ कैलाश में आवास खण्ड 24 में स्ववित्त पोषण योजना के अधीन निर्मित आवासों की आई. आई. टी. दिल्ली द्वारा तकनीकी जांच व विभागीय जांच के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि कोर जांच निर्णायक जांच नहीं है; यदि हां तो इस तकनीकी तथ्य के बारे में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) दिसम्बर, 1984 तक कंकरीट की शक्ति की जांच के

लिए कोटि नियंत्रक कक्ष द्वारा कोर कार्य के लिए किए गए कार्य का नाम विवरण-I में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ख) विवरण-2 में सूचीबद्ध किए गए कार्यों के अलावा जो फ्लैट/मकान आवंटित किए जा चुके हैं या आवंटनाधीन हैं । (नीचे देखिए)

(ग) कंकरीट के लिए भारतीय मानकों (आई.एस)-456-1978 में व्यवस्था है कि यदि कोर जांच का परिणाम असफल रहता है तो भार की जांच का आश्रय लिया जाए । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि भार की जांच समग्र रूप से संरचना की ग्राह्यता निर्दिष्ट कर सकती है लेकिन वास्तविक कंकरीट की शक्ति कोर जांच के परिणामों द्वारा निर्दिष्ट होती है ।

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत ईस्ट आफ कैलाश रिहायशी कालोनी में निर्मित फ्लैटों की तकनीकी जांच और भार जांच के पश्चात् यह अवलोकन किया गया कि कोर जांच एक निर्णायक जांच नहीं है और मकान संरचनात्मक रूप से सुरक्षित घोषित किए गए थे । तथापि ईस्ट आफ कैलाश में ब्लाक 24 जैसा कोई ब्लाक नहीं है ।

विवरण 1

क्रम संख्या	कार्य का नाम
1	कालका जी सामुदायिक केन्द्र का पश्चिम में 540 स्व-वित्त पोषित योजना मकानों का निर्माण ।
2	मयूर विहार, पाकेट–4, ग्रुप–4 में 96 एम० आई० जी०/96 एल० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
3	मयूर विहार पाकेट–4 में 96 एम० आई० जी०/96 एल० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
4	लारेंस रोड में 960 जनता मकानों का निर्माण ।
5	ग्रेटर कैलाश–1 में 64 एस० एफ० एस० मकानों का निर्माण ।
6	पाकेट–1 दक्षिण पी० पुरा में 408 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
7	पाकेट ई, दक्षिण पी० पुरा में 252 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
8	पश्चिम पुरी में 160 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
9	पश्चिम पुरी ब्लाक–4 ग्रुप–1 में 516/1902 जनता मकानों का निर्माण ।
10	विकासपुरी में 288 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
11	मयूर विहार में एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
12	मयूर विहार ग्रुप ए, पाकेट 1 में 168 एम० आई० जी०/56 एल० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
13	मयूर विहार ग्रुप–एच में 256/1024 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
14	गुलाबी बाग में 130 एस० एफ० एस० मकानों का निर्माण ।
15	मयूर विहार में एम० आई० जी०/एल० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
16	ईस्ट आफ कैलाश पाकेट ए में श्रेणी–III के लिये 80 एवं श्रेणी–II के लिये 4 मकानों का एस० एफ० एस० के अन्तर्गत निर्माण ।
17	ईस्ट आफ कैलाश पाकेट–डी में श्रेणी–III के लिये 56 एवं श्रेणी–II के लिये 28 मकानों का एस० एफ० एस० के अन्तर्गत निर्माण ।

विवरण 1—जारी

क्रम संख्या	कार्य का नाम
18	पाकेट ए ग्रप–II में 384/768 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
19	बोडेला जे० जी० III में 864 जनता मकानों का निर्माण ।
20	पीतमपुरा में 208 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
21	शालीमार बाग में 165 एस० एफ० एस० मकानों का निर्माण ।
22	मालवीय नगर एक्सटेंशन में 194 रिहायशी एककों का निर्माण ।
23	बोडेला पाकेट-डी में 320 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
24	मालवीय नगर एक्सटेंशन में एस० एफ० एस० के 204 रिहायशी एककों का निर्माण ।
25	बोडेला पाकेट–ए में 224 एस० एफ० एस० मकानों का निर्माण ।
26	जहांगीर पुरी में 336 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
27	जहांगीर पुरी में 320 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
28	दिलशाद गार्डन ब्लाक आर में 96 एम० आई० जी०/96 एल० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
29	त्रिलोकपुरी में 192 एम० आई० जी०/192 एल० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
30	दिलशाद गार्डन पाकेट जे एण्ड के में 160 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
31	दिलशाद गार्डन पाकेट जे एण्ड के में 304 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
32	रोहिणी में 128 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
33	रोहिणी सेक्टर–III पाकेट डी–17 में 380 ई० एस० डब्ल्यू० मकानों का निर्माण ।
34	पीतमपुरा में 192 एम० आई० जी० फ्लैटों का निर्माण ।
35	पीतमपुरा में 192 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
36	त्रिलोकपुरी में 300 रिहायशी एककों (60 एम० आई० जी० और 240 एल० आई० जी०) टाइप–बी ग्रुप 1 का निर्माण ।
37	त्रिलोकपुरी में 830 रिहायशी एककों का निर्माण, उपशीर्ष : त्रिलोकपुरी में टाइप–बी, ग्रुप–III 265 रिहायशी एककों (53 एम० आई० जी०/212 एल० आई० जी०) का निर्माण ।
38	पीतमपुरा पाकेट एल में एस० एफ० एस० के अन्तर्गत टाइप–III के 64, टाइप–II के 64 मकानों तथा 96 स्कूटर गैराजों का निर्माण ।
39	रोहिणी सेक्टर–4, पाकेट–6 में 128 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण ।
40	रोहिणी के सेक्टर–III, IV, V, VII, तथा VIII में 324 एम० आई० जी० मकानों का निर्माण, उपशीर्ष : पाकेट-बी 10 सेक्टर–III रोहिणी में 192 एम० आई० जी० रिहायशी एककों का निर्माण ।

विवरण 2

क्रम संख्या	कार्य का नाम
1	जहांगीर पुरी में मध्यम आय वर्ग के लिये 336 मकानों का निर्माण ।
2	"आर" ब्लाक दिलशाद गार्डन में मध्यम आय वर्ग के 96 और निम्न आय वर्ग के 96 मकानों का निर्माण ।
3	त्रिलोकपुरी में श्रेणी–1 टाइप "बी" के 300 रिहायशी एककों (60 मध्यम आय वर्ग और 240 निम्न आय वर्ग) का निर्माण ।
4	त्रिलोकपुरी में 830 रिहायशी एककों का निर्माण (उपशीर्ष त्रिलोकपुरी में श्रेणी–III, टाइप "बी" के 265 रिहायशी एककों का निर्माण ।